उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक :: 12 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8, की अधिसूचना संख्या 691/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 06 वर्ष 2017) की धारा 96 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 103 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''उत्तराखण्ड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण'', के सदस्य के रूप में श्री विपिन चन्द्र, अपर आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय देहरादून, को नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 800/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित की कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3– विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0
6– गार्ड फाईल हेतु।

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

6510
13/10/2017

16/10/2017

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

DT./GST Notification/ Member of Advance Ruling(03-10-2017)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.800/ 2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 dated 12 October, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 800/2017/ 9(120)/XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 12 October, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in the course of Notification no. 691/2017/9(120) /XXVII(8)/2017 dated 28 August, 2017, the Governor, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 96 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017) read with rule 103 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rule, 2017, is pleased to allow to appoint Shri Vipin Chandra, Additional Commissioner State Tax, Headquarter Dehradun, as a member of the "Uttarakhand Authority for Advance Ruling".

(Radha Raturi)
Principal Secretary

DT:/GST Notification/ Member of Advance Ruling(03-10-2017)